



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में घर में घुसकर मारपीट कर छेड़छाड़ की घटना कारित करने के आरोपी मनोज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष के साधारण कारावास व 4,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त मनोज पुत्र रिषिपाल निवासी ग्राम फौजुल्लापुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ घर में घुसकर मारपीट कर छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 974/23 धारा 452/354/323/504/506/354बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.05.2026 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मनोज को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास व 4,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



मनोज कुमार पटेल
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी



का0 आदित्य कुमार
कोर्ट पैराकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 14.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 304/26 धारा 306 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 टैबल फैन, 01 जूसर मिक्सर, 01 सीलिंग फैन व 08 सीलिंग फैन मय पंखुडी, 21 LED बल्ब, 20 कनसील्ड लाईट , 04 पैकेट MCB बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

13.05.2026 को

थाना कोतवाली

बागपत पर वादी

मोहित पुत्र स्व0

मनोज निवासी जैन

मौहल्ला कस्बा

बागपत थाना

कोतवाली बागपत

जनपद बागपत ने

लिखित तहरीर दी

कि अभियुक्त सोएब

पुत्र नामालूम

निवासी माता कॉलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

द्वारा उसकी दुकान से सामान चोरी करके अन्य किसी को बेच दिया गया है । इस

सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0

304/26 धारा 306 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 304/26 धारा 306 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 टैबल फैन, 01 जूसर मिक्सर, 01 सीलिंग फैन व 08 सीलिंग फैन मय पंखुडी, 21 LED बल्ब, 20 कनसील्ड लाईट , 04 पैकेट MCB बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोएब पुत्र इसानू उर्फ इसामू निवासी माता कॉलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- 01 टैबल फैन, 01 जूसर मिक्सर, 01 सीलिंग फैन व 08 सीलिंग फैन मय पंखुडी, 21 LED बल्ब, 20 कनसील्ड लाईट , 04 पैकेट MCB

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का० 250 कोमल चौधरी थाना कोतवाली बागपत।
- 4-का० 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत।
- 5-का० 62 अरिब पठान थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट
थाना दोघट दिनाँक-14.05.2026

थाना दोघट पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 04



वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बहादुर पुत्र इशितयाक निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-सौरभ पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम गढी कांगरान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-इमरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम गढी कांगरान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-जिशान पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम गढी कांगरान थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट बागपत ।
- 2-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट बागपत ।
- 3-का0 455 विजय सैनी थाना दोघट बागपत
- 4-का0 1060 गौरव कुमार थाना दोघट बागपत ।
- 5-रि0का0 272 विनय कुमार थाना दोघट बागपत ।
- 6-रि0का0 516 अखिलेश कुमार थाना दोघट बागपत ।